

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

बलवीर सिंह बनाम कुन्दन सिंह आदि

करण संख्या 78 / 2023 अन्तर्गत धारा 212 RTA

दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर एवं दिनांक जो इस आदेश को पालना में जारी है
28 ³ / ₂₅	<p>अधिवक्तागण उपस्थित। हस्तगत प्रकरण की मूल अपील का निस्तारण हो चुका है। अब इस प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। प्राची का प्राचीन पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA खारिज किया जाकर प्रकरण में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 26/07/23 भी निरस्त की जाती है। पत्रावली विधि लेकर नम्बर से कम होकर दाखिल वफुतर हो।</p>	



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर